न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 102 / 2013 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. जेठाराम पुत्र डूंगराराम जाति जाट निवासी कोहरियों की बस्ती (मौखाब) तहसील शिव, जिला बाड़मेर	**बनाम**	1.थानाराम पुत्र बन्नाराम जाति जाट निवासी कोहरियों की बस्ती (मौखाब) तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिव

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 85 / 2001 बअनवान थानाराम बनाम जेठाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.09.2013 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सोहनलाल चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री करनाराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 24.02.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट थानाराम के ग्राम कोहरियों की बस्ती मौखाब में स्थित भूमि खसरा संख्या 246 / 133 रकबा 91.03 बीघा को संयुक्त खातेदारी से विभाजित करवाने हेतु एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। वाद में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में वादी का आधा हिस्सा घोषित करते हुए भूमि का बंटवाडा करने की प्रार्थना की जिस पर इस वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी करने के लिये विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया जो विभाजन प्रस्ताव मौके के अनुसार राजस्व नियमों के तहत नहीं होने के कारण सहायक कलक्टर शिव के निर्णय दिनांक 28.10.2003 के विरूद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष पेश की जिस अपील संख्या 38 / 2004 निर्णय दिनांक 18.06.2004 को निर्णत कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव को यह आदेशित किया कि तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु सूचना देते हुए उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जाने पर विभाजन प्रस्ताव के संबंध में दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः फाईनल

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डिक्री जारी की जावे। इस आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.09.2013 पारित नहीं किया गया। इस कारण हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनंक 10.09.2013 के दिन अंतिम डिक्री जारी की है वह डिक्री तहसीलदार शिव द्वारा उपलब्ध कराये विभाजन प्रस्ताव के अनुसार जारी नहीं की है इसके विपरीत रेस्पोडेंट थानाराम ने एक इस्तगासा धारा 145 सीआरपीसी के तहत 17.06.2013 को पेश किया उसकी जांच थानाधिकारी शिव ने दिनांक 29.06.2013 को करनी बताई है इस धारा 145 सीआरपीसी की कार्यवाही के नक्शे पर अपीलांट के जो हस्ताक्षर करवाये उन हस्ताक्षरों वाले नक्शे को इस अपीलाधीन आदेश व डिक्री में शामिल न कर निर्णय व डिक्री पारित की है जो राजस्व कानून व नियमों की घोर अवहेलना की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.09.2013 में लोक अदालत की भावना से भाग ए तथा बी के नक्शे पर सहमति दर्शायी है जबकि अपीलार्थी द्वारा लिखित सहमति की इबारत नहीं है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से यह आदेश पारित किया है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं, क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के हस्ताक्षर युक्त पेश नक्शे के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट द्वारा उत्तरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाडा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes &

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर गौर किये बिना पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री फर्द मौका दिनांक 02.09.2013 के अनुसार पारित किया गया जिसमें स्पष्ट आया है कि ग्राम कोहरियों की बस्ती के खसरा संख्या 247/133 रकबा 91.03 बीघा खेत का मौका मुआयना किया, जिसमें निम्न नक्शानुसार खातेदार थानाराम द्वारा उक्त खेत का बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे खातेदार जेठाराम द्वारा अपनी इच्छानुसार विभाजित खेत के खसरे का A भाग (दक्षिण पूर्व) स्वेच्छा से लेना स्वीकार किया व थानाराम को अपनी तरफ से खेत का आधा हिस्सा 45.12 बीघा भाग B (उतर–पश्चिम) बताया। जिसे थानाराम ने अपना हिस्सा लेना स्वीकार किया। उपरोक्त नक्शानुसार दोनों खातेदारों थानाराम व जेठाराम ने विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया। फर्द मौका बनाकर सभी को सुनाई गई व उपस्थित लोगो ने हस्ताक्षर व अंगूठा निशान किये। **ढाणियां अगर नाप में आती है तो उनको सम्बन्धित के हिस्से में रखा जायेगा उसके बदले विभाजन में रकबा बीच वाली माट के नाप अनुसार तिरछा कर सही किया जाये**गा। इस तथ्य से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि फर्द मौका दिनांक 02.09.2013 मौके पर जाकर नाप तोल कर तैयार नहीं की गई। उपरोक्त फर्द की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी मौखाब को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया गया। जबकि बंटवारे के मामले में तहसीलदार स्वयं द्वारा दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौके पर जाकर बंटवार प्रस्ताव तैयार करना आज्ञापक है। जबकि इसकी पूर्ण रूप से अवहेलना की गई। फर्द मौका दिनांक 02.09.2013 व इसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 07.09.2013 को तैयार नक्शे में दोनों के कब्जे काश्त में अंतर बताया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का मजमून ही साबित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं

साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 85/2001 बअनवान थानाराम बनाम जेठाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.09.2013 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। मौके पर उभयपक्षकारान के मध्य विवाद नहीं हो इसलिए वाद के निस्तारण मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत वाद का निर्णय तीन माह में पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.04.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 24.02.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर